

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 111 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, ए डी बी, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, ए डी बी, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, के माह 12/2016 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 07/02/2019 से 18/02/2019 तक श्री एस के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस एल दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री डी के मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03/12/2016 से 13/12/2016 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य, पूर्ण जिला - पिथौरागढ़ एवं चंपावत ।

1. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन (लाख में)	व्यय (लाख में)	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	29.77	25.91	5228.75	5228.75	3.86	-
2016-2017	-	-	40.27	40.20	2945.24	2943.33	0.07	1.90
2017-2018	-	-	85.86	85.63	639.16	639.15	0.23	0.01
2018-2019	-	-	99.25	70.12	116.00	79.49	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है: (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य(+)	बचत(-)
शून्य					

2. गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी A है।
3. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

(1) प्रधान सचिव , लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) स्तर -1 (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर -2, (4) मुख्य अभियंता, स्तर -2 कुमाऊँ अल्मोड़ा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक, अधिशासी अभियंता, सिविल, अधिशासी अभियंता (वि/या) सहायक अभियंता (सिविल) सहायक अभियंता वि /या, कनिष्क अभियंता, सिविल, कनिष्क अभियंता वि/या, कनिष्क अभियंता प्राविधिक, मानचित्रकार, वरिष्ठ

भू- वैज्ञानिक, भू- वैज्ञानिक, सहायक भू- वैज्ञानिक, विधि अधिकारी, कनिष्क सहायक रसायन, प्रयोगशाला सहायक, सर्वेयर ।

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1)वित्त नियंत्रक ,(2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक।

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, ए डी बी, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, ए डी बी, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 22/03/2018 से 22/03/2018 तक खंड का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह....शून्य तथा नहीं की गई।

5. फार्म 51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम शून्य

भाग द्वितीय ` 9,22,000.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/19 के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 53799718.00
(ङ)	भण्डार	शून्य

भाग दो अ

प्रस्तर सं० 1 रू० 199.00 लाख वार्षिक कर की कटौती किये बिना ही संविदाकार फर्म को संविदा की धनराशि का भुगतान किया जाना।

Uttarakhand Vat Act 2005 Sec. 35: Recovery of Tax by way of Tax Deduction at Source:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, every person responsible for making payment to any dealer (hereinafter in this section referred to as the contractor) for discharge of any liability on account of valuable consideration payable for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) in pursuance of a works contract, not being a building contract of such class or value as may be notified by the State Government in public interest in this behalf, shall, at the time of making such payment to the contractor, either in cash or in any other manner, deduct an amount equal to four percent of such sum towards part or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act on account of such works contract: Provided that the assessing authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate, Provided further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

(2) Where under an agreement of transfer of right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) the lessee to whom the right to use any goods is transferred, is- (a) a registered dealer, or (b) the Central Government or any State Government; or (c) any local authority, any corporation or undertaking constituted by or under a Central Act or a State Act; or (d) any Co-operative society or any other society, club, firm or other association of persons or a company, whether incorporated or not, the person responsible for making such payment to the lessor (who is transferring the right to use any goods) for discharge of liabilities under such agreement, shall at the time of making such payment to the lessor, either in cash or by credit or any other manner, deduct an amount at the rate of four percent of such sum towards part or, as the case may be, full satisfaction of the tax payable under this Act on account of such transfer of right to use any goods: Provided that the assessing authority may, if satisfied that it is expedient in the public interest so to do and for reasons to be recorded in writing, order that in any case or class of cases no such deduction shall be made or, as the case may be, such deduction shall be made at a lesser rate; Provided further that where any deduction has been made by a contractor from the payment made to his sub-contractor in accordance with sub-section (3), the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made under this sub-section.

(3) Any contractor responsible for making any payment for discharge of any liability to any sub-contractor in pursuance of a contract with the sub contractor for the transfer of property in goods (whether as goods or in any other form) involved in the execution of a works contract or for transfer of right to use any goods for any purpose, whether wholly or in part, of the work undertaken by the contractor, shall, at the time of such payment or discharge, in cash or by cheque or draft or by any other mode, deduct an amount equal to four percent of such payment or discharge, purporting to be a part of full amount of tax

payable under this Act on such transfer from the bills or invoices raised by the sub-contractor as payable by the contractor Provided that no deduction under this sub-section shall be made on the amount on which deduction has already been made under subsection (1) or sub-section (2).

(4) The amount deducted under sub-section (1) or sub-section (2) or subsection (3) shall be deposited into the Government Treasury by the person making such deduction before the expiry of the month following that in which deduction is made.

(5) The person making such deductions under sub-section(1) or subsection(2) or sub-section(3) shall, at the time of payment or discharge furnish to the person from whose bills or invoices such deduction is made, a certificate in such form and manner and within such period as may be prescribed.

(6) The person responsible for making the payment to the contractor or subcontractor shall submit such return of such payments at such intervals, within such period, and in such manner as may be prescribed, but the assessing authority may, in its discretion, for reasons to be recorded extend the date for the submission of the return by such person.

(7) Any deduction made in accordance with the provisions of this section and credited in the Government Treasury shall be treated as payment of tax on behalf of the person from whose bills or invoices the deduction has been made, and credit shall be given to him for the amount so deducted on the production of the certificate referred to in sub-section (5), in the assessment made for the relevant assessment year.

(8) If any such person as is referred to in sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3), fails to make the deduction or after deducting fails to deposit the amount so deducted as required in sub-section (4), the assessing authority may, after giving such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay, by way of penalty, a sum not

exceeding twice the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited into Government. Treasury.

(9) Without prejudice to the provisions of sub-section (8), if any such person fails to make the deduction or, after deducting, fails to deposit the amount so deducted, he shall be liable to pay simple interest at the rate of fifteen percent per annum on the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited from the date on which such amount was deductible to the date on which such amount is actually deposited.

(10) Where the amount has not been deposited after deduction, such amount together with interest referred to in sub-section (9) shall be a charge upon all the assets of the person concerned.

(11) Payment by way of deduction in accordance with sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) shall be without prejudice to any other mode of recovery of tax due under this Act from the contractor or the subcontractor, as the case may be. Explanation: For the purpose of this section, "assessing authority " means the officer having jurisdiction over the place where the place of business or residence of the person is located.

(12) Nothing contained in this section shall prevent the assessing authority from making an assessment of tax payable by the dealer in accordance with other provisions of the Act and notwithstanding any thing contained in this section the dealer shall be liable to pay tax according to other relevant provisions of the Act.

शासन के पत्रांक संख्या 627 / 2012 / 14(12)/XXVII(8)/06 dated 3 July 2012 सिविल एवंविद्युत संकर्म संविदाकरों के संबंध में दिनांक 1.4.2012 से दिनांक 31.3.2015 तक की अवधि के लिये लागू समाधान योजना के संबंध में जारी किये गये थे, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई भी संविदाकार संविदा की धनराशि से 0 से 5 प्रतिशत तक आयात करता है या आयात नहीं करता है, तो उससे 4 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की कटौती करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। वर्ष

2012-13 से शासन के द्वारा 1 से 4 प्रतिशत के स्थान पर 4 से 6 प्रतिशत वार्षिक कर की कटौती करने की अधिसूचना शासन के द्वारा जारी कर दी गयी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग(ए0डी0बी0)पिथौरागढ की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मैसर्स आर0जी0विल्डवैल इजिनियर्स प्रा0 लि0 गाजियाबाद उ0प्र0 से अनुबन्ध सं0 25/पी0डी0/पी0एम0यू0/ए0डी0बी0/2014 दिनांक 1.12.2014 को गठित किया गया था। जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 20/1/2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 19/7/2016 निर्धारित थी। अनुबन्ध की कुल धनराशि रू0 51,46,87,787.00 थी। संविदाकार फर्म को उनके विभिन्न रानिग देयकों (17) के अनुसार रू0 49,81,88,326.00 का भुगतान किया जा चुका था। खण्ड कार्यालय के द्वारा यह भुगतान संविदाकार फर्म को 2 प्रतिशत वार्षिक कर की कटौती करके किया गया था। जबकि वार्षिक कर विभाग उत्तराखण्ड के द्वारा संविदाकार के पक्ष में वैट अधिनियम 2005 की धारा 35(1) के आदेशो 2 प्रतिशत वार्षिक कर कटौती करने हेतु संविदी विभाग को जारी ही नहीं किये गये थे। क्योंकि संविदी विभाग के द्वारा अपने कार्यालय पत्राक संख्या 145/सी-7 दिनांक 9.4.2018 के द्वारा एवं इससे पूर्व भी अपने पत्राको में वैट अधिनियम 2005 की धारा 35(1) के आदेशो की प्रति की माँग की जाती रही थी, अन्यथा की दशा में चालू देयको/बैंक गारन्टी से 6 प्रतिशत से वार्षिक कर की कटौती करने हेतु कहा गया था। सम्प्रेक्षा तिथि तक संविदाकार फर्म के द्वारा धारा 35(1) के आदेशो की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। खण्ड कार्यालय रू0 49,81,88,326.00 का भुगतान संविदाकार फर्म को 2 प्रतिशत वार्षिक कर की कटौती चालू देयको से करके कर दिया गया था। खण्ड कार्यालय की लापरवाही से संविदाकार फर्म को 2 प्रतिशत(रू0 99,63,766.52) वार्षिक कर की कटौती करके सम्प्रेक्षा तिथि तक कुल रू0 49,81,88,326.00 का भुगतान किया गया था। जबकि खण्ड कार्यालय के द्वारा संविदाकार फर्म को रू0 49,81,88,326.00 पर 6 प्रतिशत की दर (2,98,91,299.56)से कटौती करके किया जाना था। अतः अन्तर 4 प्रतिशत धनराशि रू0 1,99,27,533.00 की वार्षिक कर की कम कटौती करके संविदाकार फर्म को अधिक भुगतान किया गया था। जोकि वैट अधिनियम 2005 एवं शासन द्वारा जारी शासनादेशों के विपरीत था।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि आडिट आपत्ति उचित है, नियमानुसार वार्षिक कर की कटौती संविदाकार के देयकों से की जायेगी, तथा ब्याज की वसूली भी नियमानुसार की जायेगी। सम्बन्धित संविदाकार को वसूली करने के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यालय द्वारा जारी पत्रों से

अवगत कराया जा चुका है, जिसकी छायाप्रतियाँ सम्प्रेक्षक को उपलब्ध करा दी गयी है।

विभागीय उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, यदि संविदाकार फर्म के द्वारा वैट अधिनियम 2005 की धारा 35(1)का आदेशा जोकि वार्षिज्य कर विभाग देहरादून से जारी किया गया उपलब्ध नहीं कराया गया था तो संविदाकार के प्रत्येक चालू देयकों से नियमानुसार 6 प्रतिशत टी0डी0एस0 की कटौती करने के उपरान्त ही देयकों का भुगतान किया जाना चाहिए था। विभागीय की इस लापरवाही से जहाँ एक ओर संविदाकार फर्म को चालू देयकों को अधिक भुगतान किया जाता रहा वही दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष शासन को राजस्व की प्राप्ति से वंचित भी रख गया था। विलम्ब अवधि 48 माह(12/2018) तक की गणना के अनुसार प्रति माह 1.25 प्रतिशत ब्याज की धनराशि कम कटौती की गयी टी0डी0एस0 धनराशि रू0 1,99,27,533.00X 1.25% x48=1,19,56,519.00 अर्थात्(19927533.00+ 11956519.00= RS. 3,18,84,053.00 की वसूली संविदाकार फर्म से जानी है। जोकि सम्प्रेक्षा तिथि तक नहीं की गयी थीं।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो अ

प्रस्तर संख्या 2 रू0 42,22,755.87 लाख रॉयल्टी धनराशि की वसूली संविदाकार फर्म से कम किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 62 दिनांक 18/1/2013 के अनुसार रू0 90.00 प्रति घन मी0 से रॉयल्टी की कटौती किये जाने का प्रावधान था। दिनांक 7 अगस्त 2015 को शासन के पत्रांक संख्या 1207 के अनुसार रू0 90.00 के स्थान पर रू0 200.00 से कटौती किये जाने का आदेश हुआ था। इस आदेशा के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 10/12/2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। उस स्थगन आदेशा के सापेक्षा शासन के पत्रांक संख्या 107 दिनांक 22/1/2016 को आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दिनांक 10/12/2015 से रॉयल्टी की कटौती शासन के पत्रांक संख्या 62 दिनांक 18/1/2013 की दरों के अनुसार की जायेगी। तत्पश्चात दिनांक 26/2/2016 को शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 211 में यह आदेश जारी किया गया कि दिनांक 26/2/2016 से रू0 194.50 से रॉयल्टी की कटौती की जायेगी तथा पुनः दिनांक 19 मई 2016 को शासन के पत्रांक संख्या 842 के द्वारा पूर्व में जारी दरों को संशोधित करते हुऐ रू0 154.00 प्रति घन से कटौती के आदेश जारी किये गये है। जोकि अतिथि तक प्रचलित है।

कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध संख्या 25 पी0डी0/पी0एम0यू0/ए0डी0बी0 के पैकेज संख्या सी-7 मैसर्स आर0 जी0 बी0 बिल्डर्स इंजीनियरिंग लि0 गाजियाबाद सिंविदाकार के देयकों से की जाने वाली रॉयल्टी की कटौती समय समय पर शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं को पालन सुनिश्चित करते हुऐ नहीं की गयी है। जिसके कारण शासन को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त राजस्व से वंचित रहना पडा है।

खण्ड कार्यालय के द्वारा संविदाकारों को भुगतान किये गये व्यय वाउचरों में रॉयल्टी की कटौती रू0 90.00 से ही की गयी है, अर्थात जब बढी हुई रायल्टी दरें लागू हो चुकी थी। तो उस तिथि को अवर अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिकाओं में बढी हुई दरों से गणना करके देयक बनाकर प्रस्तुत किया जाना था। जबकि प्रत्येक स्तर पर देयक की जाँच मात्रा

एवं दरों से की जाती है। फिर भी बढी हुई रॉयल्टी की दरों से संविदाकारों से कटौती नही की गयी थी। जिसके कारण शासन को रॉयल्टी से प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 104.50 प्रति घनमीटर स्टोन एवं रू0 114.50 सैड से वंचित रहना पडा। इस प्रकार संविदाकार फर्म से रू0 104.50 प्रति घन मीटर की दर से कुल सामग्री स्टोन की मात्रा 25581.43 अन्तर धनराशि रू0 26,73,259.00 एवं सैड अन्तर धनराशि 114.50 प्रति घनमीटर कुल मात्रा 13,532.72 अन्तर धनराशि रू0 10,82,617.00 अर्थात कुल कम वसूल की गयी रॉयल्टी की धनराशि 42,22,755.87 की वसूली मैसर्स आर0 जी0 विडवैल गाजियाबाद के देयकों से कम कटौती की गयी थी। जबकि शासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रू0 194.50 प्रतिघन मीटर से की जानी थी। कम वसूलीय रॉयल्टी को कटौती 15% वार्षिक ब्याज सहित जमा होने योग्य है।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि आडिट आपत्ति उचित है, यथाशीघ्र अवशेष धनराशि की वसूली संविदाकार के देयकों से करके राजकोष जमा कर दिया जायेगा। जिसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय देहरादून को भी प्रेषित कर दी जायेगी।

खण्ड कार्यालय के द्वारा आडिट आपत्ति स्वीकार करते हुऐ अवशेष धनराशि रू0 42,22,755.87 की वसूली करने का आश्वासन भी दिया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर संख्या 1 रू0 13,46,150.00 जी0एस0टी0 का संविदाकारों को अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17-27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश में case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाइस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में “ work contract” means a contract for building construction, Fabrication, completion, erection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintenance, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (ब्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of

Form GST INV - 1
(See Rule -----)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HS N	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight													
	Insurance													
	Packing and Forwarding Charges													
	Total													
Total Invoice Value (In figure)														
Total Invoice Value (In Words)														
Amount of Tax subject to Reverse Charges														

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की माँग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनको अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नहीं किया जा सकता । अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूर्ति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्विन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्विन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के

आशाय से करता है, तो ऐसी शक्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग ए0डी0बी0 पिथौरागढ द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जी0एस0टी0 भुगतान से सम्बन्धित सूचना में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 7/2017 से 1/2019 कुल रू0 13,46,150.00 तक का भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान किया गया था, जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदाकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिये था, जैसाकि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावधानों में उल्लिखित था, अर्थात् बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि और 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावधानों के विरुद्ध किया गया था। इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है,कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकार की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावधान भी लागू होंगे।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर उत्तर में बताया गया कि तथ्यो एवं ऑकडों की पुष्टि की जाती है। संविदाकारों के द्वारा कोई भी जी0एस0टी0 की टैक्स इन्वाइस नहीं दी गयी हैं भविष्य में आडिट आपित्त के अनुसार टैक्स इन्वाइस प्राप्त करके ही जी0एस0टी0 का भुगतान संविदाकारों को किया जायेगा। यथाशीघ्र जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुऐ जी0एस0टी0 भुगतान दर्शायी गयी धनराशि रू0 13,46,150.00 की वसूली करके कार्यालय महालेखाकार को अवगत करा दिया जायेगा।

खण्ड कार्यालय के द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुऐ अनियमित तरीके से संविदाकारों को भुगतान की गयी जी0एस0टी0 धनराशि की वसूली करने हेतु आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
90/2016-17		1, 2	1, 2, 3	-
26/2011-12		1, 2	1	-
योग		04	04	Nil

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्यु क्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

“शून्य”

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, ए डी बी, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(1)	श्री दिनेश प्रसाद आर्या	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

(1) श्री तारा सिंह बिष्ट, खंडीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, ए डी बी, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2